रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223185
SG-DL-E-19112020-223185

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 196
No. 248]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942	[N. C. T. D. No. 196

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020

सं. फा. 6(3)/2014—15/डीआईपी/स्था./3114.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम(i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सहायक सूचना अधिकारी के पद से संबंधित इस सरकार की दिनांक 27 जनवरी, 1971 की अधिसूचना सं. फा. 2(50)/70—एस.II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'सहायक सूचना अधिकारी' के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**—(i) इन नियमों को सहायक सूचना अधिकारी भर्ती नियमावली 2020 कहा जाएगा

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–कोई भी व्यक्ति–

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :–जहां सरकार का मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :–इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक सूचना अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	चार (04)* (2020) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर–6 (35400–112400/–रुपए)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं **टीप 1**: (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप 2**: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, (लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिजीवन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	**अनिवार्य** : 1. (क) (I) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। (II) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार/विज्ञापन एवं जन संपर्क में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार में डिग्री। तथा 2. किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त या सांविधिक निकाय, समाचार एजेंसी/समाचार चैनल/पंजीयक भारतीय समाचार पत्र के साथ पंजीकृत समाचार पत्र में पत्रकारिता/प्रचार/जन संपर्क कार्य में एक वर्ष का अनुभव।

			3. दसवीं कक्षा तक हिन्दी भाषा का अध्ययन । **टीप 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 2**: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : हां
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	:	**पदोन्नति** : ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (29200–92300/–रुपए) में सूचना एवं प्रचार निदेशालय के कार्यालय में प्रचार सहायक/प्रकाशन सहायक/आर्टिस्ट। **नोट 1**– पदोन्नति हेतु पात्रता सूची निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड/पद में अर्हक सेवा पूरे होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। **नोट–2** :जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति**:– 1. सचिव–सह–आयुक्त (विकास) –अध्यक्ष 2. सचिव (जन संपर्क) –सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सा.प्रशा.विभाग) –सदस्य **समूह 'ख' विभागीय स्थाईकरण समिति**: 1. सचिव–सह–आयुक्त (विकास) –अध्यक्ष 2. सचिव (जन संपर्क) –सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सा.प्रशा.विभाग) –सदस्य (**टीप** : यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है तो विभागीय पदोन्नति

			समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नही है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सूचना एवं प्रचार)

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2020

No. F. 6(3)/2014-15/DIP/Estt/3114.-In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.27/59-HIM(i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 2(50)/70-S.II, dated the 27th January, 1971 in so far as the post of Assistant Information Officer is concerned except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules for the post of **'Assistant Information Officer'** in the Directorate of Information and Publicity, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(i) These rules may be called the Assistant Information Officer Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in pay matrix.—**The number of said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	:	Assistant Information Officer.
2.	Number of Posts.	:	04* (2020) *Subject to variation dependent on workload.

3.	Classification.	:	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Level in the Pay Matrix.	:	Level-6 (Rs. 35400-112400).
5.	Whether Selection or Non-Selection post.	:	Selection.
6.	Age-limit for direct recruits.	:	Not exceeding 30 years. **Note 1:** (Relaxable for government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**Essential:** 1. A. (I) Degree from a recognised University/Institute; (II) Diploma/Post Graduate Diploma in Journalism/Mass Communication/Advertising and Public Relations from a recognised University/Institute. OR B. Degree in Journalism/Mass Communication from a recognised University/Institute. AND 2. One year experience of Journalism/Publicity/Public Relation work in a Government Department/Public Sector Undertaking/ Autonomous or Statutory Body/News Agency/News Channel/ Newspaper registered with the Registrar of News Paper of India. 3. Should have studied Hindi language up to 10th Class. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	:	Age : No Educational qualifications : Yes.
9.	Period of probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	25% by promotion. 75% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	:	**Promotion:** Publicity Assistant/ Publication Assistant/Artist in the office of Directorate of Information and Publicity in Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the grade.

			Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	:	**Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:-** 1. Secretary-cum-Commissioner (Development) - Chairperson. 2. Secretary (PR) - Member. 3. Special/Addl. Secretary (GAD) - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Secretary-cum-Commissioner (Development) - Chairperson. 2. Secretary (PR) - Member. 3. Special/Addl. Secretary (GAD) - Member. (**Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.)
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (I & P)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA